

डॉ० (प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक-08.11.2017 (बुधवार) को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 42वीं बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति - बैठक में निम्न सदस्य उपस्थिति थे : -

क्र०सं०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पदनाम	उपस्थिति
1.	डॉ०(प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र	सभापति	उपस्थित
2.	श्री ओम प्रकाश तिवारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत।	पदेन-सदस्य के मनोनीत सदस्य	उपस्थित
3.	श्री अखिलेश वाजपेयी, उप-सचिव, वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार, रांची।	पदेन-सदस्य	उपस्थित
4.	श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्)	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री विनोद कुमार कर्ण, (से०नि० प्राचार्य) नेतरहाट विद्यालय।	सदस्य	अनुपस्थित (लंदन से वार्तालाप हुई)
6.	श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय।	सदस्य	उपस्थित
7.	श्री विन्ध्याचल पाण्डेय, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय।	सह-सदस्य सचिव	उपस्थित

2. कार्यसूची की मद संख्या-01 : विगत 41वीं बैठक दिनांक-22.09.2017 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

3. कार्यसूची की मद संख्या-02 : विगत 41 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा अनुपालन/ कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई। इसके साथ ही 41वीं बैठक की कार्यसूची की मद सं. 02(04) (ख) में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की NPS की कटौती को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के साथ-साथ इनके ग्रुप इंशोरेंस को लागू करने सम्बन्धी भी आवश्यक कदम

1

कृष्ण कुमार नाग
21.11.2017

उठाए जाने के विषय में प्राचार्य को निर्देश दिए गए। प्राचार्य ने सूचित किया है कि कार्यालय आदेश सं. 2261 दिनांक-20.11.2017 को नियमित शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन से ग्रुप बीमा की कटौती करने का आदेश दे दिया गया है।

4. कार्यसूची की मद संख्या-03 : कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से दिनांक-10.10.2017 की कार्यकारिणी समिति की आकस्मिक बैठक में सुश्री शीतल बरनवाल की सेवा समाप्ति के संबंध में लिये गये निर्णय की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई। वित्त विभाग के सदस्य द्वारा पृच्छा की गई कि सुश्री शीतल बरनवाल का तीन माह का वेतन दिया जा चुका है कि नहीं, प्राचार्य ने कहा वेतन देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, एक-दो दिनों के अन्दर यह दे दिया जायेगा। कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुसार सुश्री शीतल बरनवाल को आकस्मिक बैठक के तुरंत बाद ही तीन माह का वेतन दे देना चाहिए था। अतः समिति ने निर्देश दिया की अविलम्ब वेतन दे दिया जाय। भविष्य में समिति के निर्णय को तुरंत लागू करने के लिए प्राचार्य स्थानीय प्रबंधन समिति के किन्हीं सदस्य को इस हेतु विशेष रूप से प्रभार देकर सहायता लें ताकि कार्यकारिणी समिति के द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन यथाशीघ्र अवश्य हो जाये।
5. कार्यसूची की मद संख्या-04 : वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा योजना एवं गैर-योजनांतर्गत प्रशासी विभाग यथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार को दिनांक-30.10.2017 के माध्यम से समर्पित बजट की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।
6. कार्यसूची की मद संख्या-05 : नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारंभ की जाय। यह समिति के समस्त सदस्यों का विचार हुआ, क्योंकि इसमें देरी होने से छात्रों की पढ़ाई एवं विद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में बाधा होती है। शिक्षकों के साथ नेतरहाट में बैठक करने पर कार्यकारिणी समिति के सभापति व सदस्यों को अक्सर बताया जाता है कि शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई में बाधा हो रही है। अतः नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करने एवं चिकित्सा पदाधिकारी तथा कम्पाउण्डर व नर्स की नियुक्ति की अन्तर्वीक्षा 10 से 12 दिसम्बर 2017 को कर ली जाय, इस हेतु सभापति को चयन समिति के गठन करने का अनुरोध किया गया।
7. कार्यसूची की मद संख्या-06 : प्रारंभिक परीक्षा का कार्य सुचारु रूप से हो गया। प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक-04.11.2017 को प्रकाशित हो चुका। इसके स्वच्छ संचालन के लिए समिति के समस्त सदस्यों ने observers, नोबा के सदस्यों तथा परीक्षा से संबंधित विद्यालय एवं राज्य के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को सर्वसम्मति से बधाई दी। इसके अतिरिक्त

डॉ. डी. राग
21.11.2017

observers को मानदेय के रूप में रु.1000/- (एक हजार रुपया) एवं आने-जाने का (TA) की भी स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

8. कार्यसूची की मद संख्या-07 : कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्यों को वित्त विभाग के सदस्य ने सूचित किया कि ऐसा कोई फिलहाल प्रावधान नहीं है। Administration officer के पद पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के द्वारा की गई रोक को हटाने की प्रक्रिया स्कूल के Advocate की सहायता से तुरंत प्रारंभ कर दी जाय, क्योंकि प्रशासनिक पदाधिकारी की नियुक्ति विद्यालय के वित्तीय कार्य के लिए अतिआवश्यक है। नियुक्ति जल्द से जल्द की जा सके इसके लिए प्राचार्य यथाशीघ्र प्रयत्न करें।
9. कार्यसूची की मद संख्या-08 : 1954 में बिहार सरकार के द्वारा नेतरहाट विद्यालय को जितनी जमीन एवं भवन उपलब्ध कराई गयी थी उसका पूर्ण विवरण प्राचार्य एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। प्राचार्य वर्तमान में विद्यालय के अधीन जो जमीन या भवन उपलब्ध है उसका भी विवरण प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय के जमीन व आवास संपत्ति वापस लाने के लिए यथाशीघ्र प्रयास किया जाय। जिससे विद्यालय परिसर को निर्धारित कर चहारदीवारी लगाने का कार्य प्रारंभ किया जा सके। कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्यों ने इस कार्य हेतु सभापति महोदय को संबंधित झारखण्ड सरकार के अधिकारियों से सम्पर्क करने का अनुरोध किया, जिससे कि कार्य में प्रगति हो सके।
10. कार्यसूची की मद संख्या-10 : सर्वसम्मति से शौचालय बनाने की स्वीकृति दी गई। प्राचार्य को शिक्षकों की गोष्ठी कर, समुचित शौचालय के लिए स्थान का चयन करने के लिए अधिकार दिया गया। शौचालय मजबूत व टिकाऊ बनने चाहिए और उनकी देख-रेख बराबर होनी चाहिए ताकि शौचालय हमेशा साफ-सुथरा व उपयोग हेतु बना रहें। प्राचार्य को शौचालय निर्माण के लिए सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।
11. कार्यसूची की मद संख्या-11 : अन्य -
 - (1) समस्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को इसी सत्र से एक वर्दी के बदले अब प्रत्येक वर्ष दो वर्दी दी जायेगी (रु.2500/- प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष)।
 - (2) दैनिक एवं संविदा पर नियुक्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन बारी-बारी से अलग-अलग दिन छुट्टी दी जायेगी। प्रत्येक माह का पूरा वेतन 26 दिन काम करने पर देय होगा। आश्रम सेवक एवं रसोइयों को विद्यालय खुला रहने पर प्रतिदिन कार्य करना होगा। उन्हें छुट्टियां विद्यालय के दो लम्बे अवकाश में बारी-बारी से प्राचार्य द्वारा दी जायेगी।

इ. इ. नाग
21.11.2017

- (3) स्व: राहुल रौशन की मृत्यु पर सभी सदस्यों ने शोक जताया। सभापति महोदय ने सूचित किया कि स्व. रौशन के पिता जी के घर पर कार्यकारिणी समिति के दो सदस्यों के साथ वे मिले थे। निर्णय लिया गया कि राहुल रौशन के छोटे भाई को समय आने पर कम्पैशनेट ग्राउंड पर नामांकन लिया जाय। यदि दुर्भाग्यवश इस तरह की दुर्घटना विद्यालय में कभी होती है तो इस प्रकार की सुविधा मृतक छात्र के परिवार को दी जाय। यह सीट वर्तमान में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित 100 सीट के अतिरिक्त होगी। प्रस्ताव को कार्यकारिणी समिति की ओर से पारित कर दिया गया एवं सामान्य निकाय की पुष्टि के लिए अग्रसारित किया जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

कृष्ण कुमार नाग
21.11.2017
(कृष्ण कुमार नाग)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।